उलंघन पत्र रजि.ए .डी.

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
दूसरी मंजिल, जी॰एस॰आई॰ फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र,
महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट् -विधानसभा,
रायपुर -(छ.ग.)-492005,
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595,

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional controller of mines
2nd Floor, GSI FTC, AG office Complex
Post- Vidhan sabha, Raipur (CHG)-492005
Telefax-0771-2282530 / 2285595
Email-ro.raipur@ibm.gov.in

No- CHG/BST/LST-09/NGP खान कोड - 38CHG01002 दिनांक - 22/08/2019

प्रेषित

श्री विमल लूनिया,
मेसर्स विमल स्टोन एसोसिएट्स,
सेमी अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रीजरपुर,
पी.ओ. - जगदलपुर, जिला- बस्तर
छत्तीसगढ़ - 494001
ईमेल: vimalstone@rediffmail.com

Shri Vimal Lunia, M/S Vimal Stone Associates,
Semi Urban Industrial Area,
Frezerpur, P.O. – Jagdalpur,
Dist- Bastar,
Chhattisgarh- 494001

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले मे स्थित आपकी Mograpal Limestone Mine, 15.94 हे. मे खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय,

आपकी खान का नीरिक्षण दिनांक 12/06/2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के नीरिक्षण मे पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2018-19.
Rule 45(5) (c)	While scrutiny of the annual return 2018-19, It is observed that the follwing deficiencies: a) In Part-V: General geology & Mining: Para 1 (c) Mineral reject grade % mentioned: CaO – 50% needs to be corrected. b) Para 4.2(A) Details of benches not furnished. c) Para 4.4: (ii) Survival rate in percentage given 1.5% within lease area needs to be corrected. d) Sec 5/6/7: Incomplete information given. e) Ex -Mine price is (Rs 6510.00) less than cost of production (Rs 7101.00) which needs to be corrected. f) Sale value and ex-mine price is not supporting each other its needs to be corrected. g) Mining cost, Taxes & Dead Rent per tonne is very high break up needs to be furnished. h) Royalty DMF & NMET mentioned Zero where as production is reported. It needs to be corrected. Cost of Production is very high.
Rule 55	(ii) Whole-time Geologist and Mining engineer are not been appointed.

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लधंन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(c) के अंतर्गत

(क) खदान की सारी संक्रियांए बन्द की जा सकती है।

(ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for Information please By email

1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर–440001

2 उप–महानिदेशक सांख्यिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

3 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर